रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 14 नवम्बर, 2000/23 कार्तिक, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग

(सचिवालय प्रशासन सेवायें-I)

अधिसूचना

शिमला-171 002, 14 नवम्बर, 2000

संख्या कार्मिक (स0 प्र0-I) ए (3) 1/93.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) हिमाचल प्रदेश में निजी सहायक (वर्ग-III, अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में जो इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 3-8-1995 द्वारा अधिसूचित किये गये थे, में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक (सचिवालय प्रशासन) विभाग निजी सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) (प्रथम संशोधन) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2000 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2481-राजपत्र/2000-14-11-2000—1,409. (4031) मूल्य : एक रुपया।

2. उपाबन्ध "अ" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) निजी सहायक (वर्ग-III, अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 के उपाबन्ध "अ" में :—

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"रुपये 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640."

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायगी, अर्थात्:—

"शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न करने पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा।"

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान प्रविष्टी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात:—

"वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 6 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ वेतनमान अशुलिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक तथा कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के संयुक्त रूप में 11 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके संयुक्त नियमित सेवाकाल 11 वर्ष का हो, जिसमें वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 4 वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल सम्मिलित हो, में से प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में कायरत समरूप वेतनमान वाले पदधारियों में से स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी। परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवम् प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-98 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of Government Notification No. Per. (SAS-I) A-(3) 1/93, dated* 14-11-2000 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

PERSONNEL DEPARTMENT
(Secretariat Administration Services-I)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th November, 2000

No. Per. (SAS-I) A (3) 1/93.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend H. P. Secretariat, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Personnel Secretariat Administration notified *vide* notification of even number, dated 3-8-1995, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration), Personal Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2000.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure 'A'.*—In Annexure 'A' to the Himachal Pradesh Department (Secretariat Administration) Personal Assistant, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1995:—

(*a*) For the existing entry against Col. No. 4, the following shall be substituted, namely:—
"Rs. 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640."

(*b*) For the existing entry against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:—
"100% by promotion failing which by deputation/transfer."

(*c*) For the existing entry against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:—

By promotion from amongst the Senior Scale Stenographers having six years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998

service in the grade failing which by promotion from amongst the Senior Scale Stenographers with 11 years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998) service combined as Senior Scale Stenographer and Junior Scale Stenographer which shall include 4 years essential service as Senior Scale Stenographer failing which by deputation/transfer from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from other Government Departments.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that :—

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998) followed by regular service in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 shall remain unchanged.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित